

Ref :: SD:24/25/11/12::2025-26

08.04.2025

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] Mumbai - 400 051 Scrip Code: CANBK
--	---

Dear Sir/Madam,

Sub: Canara Bank – Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 23A of the Regional Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Government of India, vide gazette notification no. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 received on today i.e 08.04.2025, has provided for the amalgamation of Regional Rural Banks into one Regional Rural Bank, in the public interest and in the interest of the development of the area served by the Regional Rural Banks and also in the interest of the Regional Rural Banks themselves. Copy of the said notification is enclosed herewith.

The below mentioned Regional Rural Bank in the state of Andhra Pradesh sponsored by the Canara Bank shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect from 01st May, 2025.

Sr. No.	Transferor Regional Rural Banks	Transferor Sponsored Bank	Transferee Regional Rural Bank	Transferee Sponsored Bank
1.	Andhra Pragathi Grameena Bank	Canara Bank	Andhra Pradesh Grameena Bank	Union Bank of India

The below mentioned Regional Rural Banks in the state of Karnataka sponsored by the Canara Bank shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect from 01st May, 2025.

Sr. No.	Transferor Regional Rural Banks	Transferor Sponsored Bank	Transferee Regional Rural Bank	Transferee Sponsored Bank
1	Karnataka Gramin Bank	Canara Bank	Karnataka Grameena Bank	Canara Bank
2.	Karnataka Vikas Grameena Bank			

Post amalgamation of Regional Rural Banks, Canara Bank shall be the sponsor of two RRBs viz. Kerala Gramin Bank and Karnataka Gramin Bank in the state of Kerala and Karnataka respectively. Any further material developments in this regard shall be communicated to the exchanges in accordance with extant SEBI guidelines.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

SANTOSH KUMAR BARIK
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042025-262329
CG-DL-E-07042025-262329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1604]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2025/चैत्र 17, 1947

No. 1604]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2025/CHAITRA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1625(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक जो, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. आंध्र प्रदेश राज्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय अमरावती में होगा और इसका प्रायोजक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	एकसठ करोड़ इक्कीस लाख अठाईस हजार सात सौ नब्बे रुपये;
(ख)	राज्य सरकार	अठारह करोड़ छत्तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ अस्सी रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	बयालीस करोड़ चौरासी लाख नब्बे हजार एक सौ तीस रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनुसूची और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे;

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के आंध्र प्रदेश राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(1)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1625(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Andhra Pradesh and the Union Bank of India, Canara Bank, Indian Bank and State Bank of India, being the Sponsor Banks of Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the Union Bank of India, Canara Bank, Indian Bank and State Bank of India in the State of Andhra Pradesh are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Andhra Pradesh Grameena Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Amravati under the sponsorship of Union Bank of India.

2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees sixty one crore twenty one lakh twenty eight thousand seven hundred ninety
(b)	State Government	Rupees eighteen crore thirty six lakh thirty eight thousand four hundred eighty
(c)	Sponsor Bank	Rupees forty two crore eighty four lakh ninety thousand one hundred thirty
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank in the State of Andhra Pradesh shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

(a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature

relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
 - (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to, the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
 - (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.
6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:
- Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;
- (b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.
7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;
- (b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued vide letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.
8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.
9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank in the State of Andhra Pradesh.
10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(1)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1626(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बिहार सरकार और पंजाब नेशनल बैंक तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं,

से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. बिहार राज्य में पंजाब नैशनल बैंक तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक बिहार ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा और इसका प्रायोजक बैंक पंजाब नैशनल बैंक होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	एक हजार छह सौ इकहत्तर करोड़ बहत्तर लाख सैंतालीस हजार चार सौ पचास रुपये;
(ख)	राज्य सरकार	पाँच सौ एक करोड़ इक्यावन लाख चौहत्तर हजार दो सौ चालीस रुपये;
(ग)	प्रायोजक बैंक	एक हजार एक सौ सत्तर करोड़ बीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ तीस रुपये;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, बिहार राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना तक समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनु रूपी और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस) 2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बिहार राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(2)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1626(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Bihar and the Punjab National Bank and Central Bank of India, being the Sponsor Banks of Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the Punjab National Bank and Central Bank of India in the State of Bihar are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Bihar Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Patna under the sponsorship of Punjab National Bank.
2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.
3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees one thousand six hundred seventy one crore seventy two lakh forty seven thousand four hundred fifty
(b)	State Government	Rupees five hundred one crore fifty one lakh seventy four thousand two hundred forty
(c)	Sponsor Bank	Rupees one thousand one hundred seventy crore twenty lakh seventy three thousand two hundred thirty
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank in the State of Bihar shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

- (a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside

India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
- (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
- (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;

(b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;

(b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued *vide* letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank in the State of Bihar.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No 7/6/2024/(2)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, अप्रैल 5, 2025

का.आ. 1627(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, गुजरात सरकार और बैंक ऑफ़ बड़ौदा तथा भारतीय स्टेट बैंक जो, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात 'समामेलन की प्रभावी तारीख' कहा गया है):-

1. गुजरात राज्य में बैंक ऑफ़ बड़ौदा तथा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रायोजित बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक गुजरात ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय वडोदरा में होगा और इसका प्रायोजक बैंक बैंक ऑफ़ बड़ौदा होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	इक्यावन करोड़ चालीस लाख पचहत्तर हजार एक सौ पचास रुपये;
(ख)	राज्य सरकार	पंद्रह करोड़ बयालीस लाख बाईस हजार पाँच सौ चालीस रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	पैंतीस करोड़ अठ्यानवे लाख बावन हजार छह सौ दस रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, गुजरात राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक

ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनुरूपी और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे;

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण

विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक के गुजरात राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(3)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1627(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Gujarat and the Bank of Baroda and State Bank of India, being the Sponsor Banks of Baroda Gujarat Gramin Bank and Saurashtra Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Baroda Gujarat Gramin Bank and Saurashtra Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the Bank of Baroda and State Bank of India in the State of Gujarat are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Gujarat Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Vadodara under the sponsorship of Bank of Baroda.

2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees fifty one crore forty lakh seventy five thousand one hundred fifty
(b)	State Government	Rupees fifteen crore forty two lakh twenty two thousand five hundred forty
(c)	Sponsor Bank	Rupees thirty five crore ninety eight lakh fifty two thousand six hundred ten
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Baroda Gujarat Gramin Bank and Saurashtra Gramin Bank in the State of Gujarat shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

- (a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;
- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
- (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
- (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.
6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable
- Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;
- (b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.
7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;
- (b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued *vide* letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.
8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.
9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Baroda Gujarat Gramin Bank and Saurashtra Gramin Bank in the State of Gujarat.
10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(3)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1628(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जम्मू एवं कश्मीर सरकार और दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. तथा भारतीय स्टेट बैंक जो, जे एंड के ग्रामीण बैंक और एलाकी देहाती बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. तथा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रायोजित जे एंड के ग्रामीण बैंक और एलाकी देहाती बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय जम्मू में होगा और इसका प्रायोजक बैंक दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	चार सौ चौरानवे करोड़ सत्रह लाख अठावन हजार पाँच सौ रुपये;
(ख)	संघ राज्य क्षेत्र सरकार	एक सौ अड़तालीस करोड़ पच्चीस लाख सताईस हजार पाँच सौ चालीस रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	तीन सौ पैतालीस करोड़ बेरानवे लाख तीस हजार नौ सौ साठ रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् जे एंड के ग्रामीण बैंक और एलाकी देहाती बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक

ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनु रूपी और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा

जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् जे एंड के ग्रामीण बैंक और एलाकी देहाती बैंक के जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(4)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1628(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Jammu and Kashmir and the The Jammu and Kashmir Bank Ltd. and State Bank of India, being the Sponsor Banks of J & K Grameen Bank and Ellaquai Dehati Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. J & K Grameen Bank and Ellaquai Dehati Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the The Jammu and Kashmir Bank Ltd. and State Bank of India in the Union Territory of Jammu and Kashmir are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank which shall be called as Jammu and Kashmir Grameen Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Jammu under the sponsorship of The Jammu and Kashmir Bank Ltd.
2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.
3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees four hundred ninety four crore seventeen lakh fifty eight thousand five hundred
(b)	Union Territory Government	Rupees one hundred forty eight crore twenty five lakh twenty seven thousand five hundred forty
(c)	Sponsor Bank	Rupees three hundred forty five crore ninety two lakh thirty thousand nine hundred sixty
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is J & K Grameen Bank and Ellaquai Dehati Bank in the Union Territory of Jammu and Kashmir shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

- (a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;
 - (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
 - (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
 - (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.
6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:
- Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;
- (b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.
7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;
- (b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued *vide* letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.
8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.
9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is J & K Grameen Bank and Ellaquai Dehati Bank in the Union Territory of Jammu and Kashmir.
10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(4)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1629(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कर्नाटक सरकार और केनरा बैंक जो, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाना चाहिए;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. कर्नाटक राज्य में केनरा बैंक के द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कर्नाटक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय बल्लारी में होगा और इसका प्रायोजक बैंक केनरा बैंक होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	सत्तर करोड़ अस्सी लाख छह हजार सात सौ पचास रुपये;
(ख)	राज्य सरकार	इक्कीस करोड़ चौबीस लाख बावन हजार एक सौ तीस रुपये;
(ग)	प्रायोजक बैंक	उन्चास करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार छः सौ बीस रुपये;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, कर्नाटक राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला ब्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां,

रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनु रूपी और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे;

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।
9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक के कर्नाटक राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।
10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(5)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1629(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Karnataka and the Canara Bank, being the Sponsor Bank of Karnataka Vikas Grameena Bank and Karnataka Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Karnataka Vikas Grameena Bank and Karnataka Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the Canara Bank in the State of Karnataka are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Karnataka Grameena Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Ballari under the sponsorship of Canara Bank.
2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.
3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees seventy crore eighty lakh six thousand seven hundred fifty
(b)	State Government	Rupees twenty one crore twenty four lakh fifty two thousand one hundred thirty
(c)	Sponsor Bank	Rupees forty nine crore fifty six lakh fifty four thousand six hundred twenty
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Karnataka Vikas Grameena Bank and Karnataka Gramin Bank in the State of Karnataka shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

- (a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and

privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
- (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
- (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;

(b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;

(b) The inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued *vide* letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Karnataka Vikas Grameena Bank and Karnataka Gramin Bank in the State of Karnataka.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(5)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1630(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मध्य प्रदेश सरकार और बैंक ऑफ इंडिया तथा भारतीय स्टेट बैंक जो, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. मध्य प्रदेश राज्य में बैंक ऑफ इंडिया तथा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रायोजित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय इंदौर में होगा और इसका प्रायोजक बैंक बैंक ऑफ इंडिया होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	एक हजार तीन सौ आठ करोड़ पैंतीस लाख सोलह हजार सात सौ तीस रुपये;
(ख)	राज्य सरकार	तीन सौ बानबे करोड़ पचास लाख पचपन हजार बीस रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	नौ सौ पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख ईकसठ हजार सात सौ दस रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, मध्य प्रदेश राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां,

रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनुसूची और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।
9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के मध्य प्रदेश राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।
10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(6)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1630(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Madhya Pradesh and the Bank of India and State Bank of India, being the Sponsor Banks of Madhya Pradesh Gramin Bank and Madhyanchal Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

- Madhya Pradesh Gramin Bank and Madhyanchal Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the Bank of India and State Bank of India in the State of Madhya Pradesh are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Madhya Pradesh Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Indore under the sponsorship of Bank of India.
- The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.
- The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees one thousand three hundred eight crore thirty five lakh sixteen thousand seven hundred thirty
(b)	State Government	Rupees three hundred ninety two crore fifty lakh fifty five thousand twenty
(c)	Sponsor Bank	Rupees nine hundred fifteen crore eighty four lakh sixty one thousand seven hundred ten
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Madhya Pradesh Gramin Bank and Madhyanchal Gramin Bank in the State of Madhya Pradesh shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

(a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and

privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
- (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
- (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;

(b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 [14 of 1947]] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;

(b) The inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued *vide* letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Madhya Pradesh Gramin Bank and Madhyanchal Gramin Bank in the State of Madhya Pradesh.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(6)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1631(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, महाराष्ट्र सरकार और बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा बैंक ऑफ इंडिया जो, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. महाराष्ट्र राज्य में बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर में होगा और इसका प्रायोजक बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	आठ सौ पैंतालीस करोड़ उन्नीस लाख चौंतीस हजार छः सौ बीस रुपये;
(ख)	राज्य सरकार	दो सौ तिरपन करोड़ छप्पन लाख बीस हजार तीन सौ नब्बे रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	पाँच सौ एकानवे करोड़ तिरसठ लाख चौवन हजार दो सौ तीस रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, महाराष्ट्र राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां,

रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनु रूपी और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।
9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के महाराष्ट्र राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।
10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(7)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1631(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Maharashtra and the Bank of Maharashtra and Bank of India, being the Sponsor Banks of Maharashtra Gramin Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks should be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Maharashtra Gramin Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by Bank of Maharashtra and Bank of India in the State of Maharashtra are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Maharashtra Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Chhatrapati Sambhajinagar under the sponsorship of Bank of Maharashtra.

2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees eight hundred forty five crore nineteen lakh thirty four thousand six hundred twenty
(b)	State Government	Rupees two hundred fifty three crore fifty six lakh twenty thousand three hundred ninety
(c)	Sponsor Bank	Rupees five hundred ninety one crore sixty three lakh fifty four thousand two hundred thirty
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Maharashtra Gramin Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank in the State of Maharashtra shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

(a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights

and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
- (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
- (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;

(b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, or, as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation.

(b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued vide letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Maharashtra Gramin Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank in the State of Maharashtra.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(7)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1632(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ओडिशा सरकार और इंडियन ओवर्सिज बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक जो, ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. ओडिशा राज्य में इंडियन ओवर्सिज बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रायोजित ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ओडिशा ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय भुवनेश्वर में होगा और इसका प्रायोजक बैंक इंडियन ओवर्सिज बैंक होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	एक हजार सात सौ आठ करोड़ चौवन लाख सरसठ हजार चार सौ सत्तर रुपये;
(ख)	राज्य सरकार	पाँच सौ बारह करोड़ छप्पन लाख चालीस हजार दो सौ चालीस रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	एक हजार एक सौ पनचानबे करोड़ अठानबे लाख सत्ताइस हजार दो सौ तीस रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, ओडिशा राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला ब्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनुरूपी और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का

निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी. आईडीडी. आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक के ओडिशा राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(8)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1632(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Odisha and the Indian Overseas Bank and State Bank of India, being the Sponsor Banks of Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the Indian Overseas Bank and State Bank of India in the State of Odisha are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Odisha Grameen Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Bhubaneswar under the sponsorship of Indian Overseas Bank.

2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees one thousand seven hundred eight crore fifty four lakh sixty seven thousand four hundred seventy
(b)	State Government	Rupees five hundred twelve crore fifty six lakh forty thousand two hundred forty
(c)	Sponsor Bank	Rupees one thousand one hundred ninety five crore ninety eight lakh twenty seven thousand two hundred thirty
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank in the State of Odisha shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

(a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

(b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;

(c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;

(d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;

(b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, or, as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;

(b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued *vide* letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank in the State of Odisha.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(8)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1633(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राजस्थान सरकार और भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा जो, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. राजस्थान राज्य में भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा प्रायोजित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय जयपुर में होगा और इसका प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	दो सौ पैंतालीस करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार पचास रुपये;
(ख)	राज्य सरकार	तिहत्तर करोड़ उन्हत्तर लाख उन्तालीस हजार पाँच सौ पच्चीस रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	एक सौ ईकहत्तर करोड़ चौरानवे लाख अठ्ठावन हजार सात सौ पच्चीस रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, राजस्थान राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनु रूपी और समान खाता खोलेगा और उसके व्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, सम्मेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के राजस्थान राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(9)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1633(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Rajasthan and the State Bank of India and Bank of Baroda, being the Sponsor Banks of Rajasthan Marudhara Gramin Bank and Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Rajasthan Marudhara Gramin Bank and Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the State Bank of India and Bank of Baroda in the State of Rajasthan are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Rajasthan Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Jaipur under the sponsorship of State Bank of India.

2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee

Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees two hundred forty five crore sixty two lakh ninety nine thousand fifty
(b)	State Government	Rupees seventy three crore sixty nine lakh thirty nine thousand five hundred twenty five
(c)	Sponsor Bank	Rupees one hundred seventy one crore ninety four lakhs fifty eight thousand seven hundred twenty five
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Rajasthan Marudhara Gramin Bank and Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank in the State of Rajasthan shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

- (a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;
- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
- (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
- (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;

(b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance

with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;

(b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued vide letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Rajasthan Marudhara Gramin Bank and Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank in the State of Rajasthan.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(9)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1634(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तर प्रदेश सरकार और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नैशनल बैंक जो, बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. उत्तर प्रदेश राज्य में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नैशनल बैंक के द्वारा प्रायोजित बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा और इसका प्रायोजक बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	चार सौ सतासी करोड़ पचहत्तर लाख एकतीस हजार छः सौ रुपए;
(ख)	राज्य सरकार	एक सौ छियालीस करोड़ बत्तीस लाख उनसठ हजार तीन सौ सत्तर रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	तीन सौ एकतालीस करोड़ बयालीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ अस्सी रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, उत्तर प्रदेश राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनु रूपी और समान खाता खोलेगा और उसके व्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, सम्मेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे;

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के उत्तर प्रदेश राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(11)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1634(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of Uttar Pradesh and the Bank of Baroda, Bank of India and Punjab National Bank, being the Sponsor Banks of Baroda U.P. Bank, Aryavart Bank and Prathama U.P. Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Baroda U.P. Bank, Aryavart Bank and Prathama U.P. Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the Bank of Baroda, Bank of India and Punjab National Bank in the State of Uttar Pradesh are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Uttar Pradesh Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Lucknow under the sponsorship of Bank of Baroda.

2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees four hundred eighty seven crore seventy five lakh thirty one thousand six hundred
(b)	State Government	Rupees one hundred forty six crore thirty two lakh fifty nine thousand three hundred seventy
(c)	Sponsor Bank	Rupees three hundred forty one crore forty two lakh seventy two thousand three hundred eighty
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Baroda U.P. Bank, Aryavart Bank and Prathama U.P. Gramin Bank operating in the state of Uttar Pradesh shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

- (a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;
- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
- (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
- (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;

(b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being

workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;

(b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued vide letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Baroda U.P. Bank, Aryavart Bank and Prathama U.P. Gramin Bank in the State of Uttar Pradesh.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(11)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, अप्रैल 5, 2025

का.आ.1635(अ).— केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल सरकार और पंजाब नैशनल बैंक, यूको बैंक तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो, बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा;

अतः, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ मई, 2025 के पहले दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात समामेलन की प्रभावी तारीख कहा गया है):-

1. पश्चिम बंगाल राज्य में पंजाब नैशनल बैंक, यूको बैंक ऑफ इंडिया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में होगा और इसका प्रायोजक बैंक पंजाब नैशनल बैंक होगा।

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	एक हजार दो सौ उन्चासी करोड़ चौसठ लाख छः हजार अठासी रुपए;
(ख)	राज्य सरकार	तीन सौ तिरासी करोड़ अठासी लाख अठासी हजार नौ सौ पचपन रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	आठ सौ पनचानवे करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार छः सौ नब्बे रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख से, पश्चिम बंगाल राज्य में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अर्थात् बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला व्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनुरूपी और समान खाता खोलेगा और उसके व्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा;

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों [औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों] की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 25 नवम्बर, 2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी/2065/462/(आईएसएस)2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन का कार्यक्षेत्र, अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात् बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पश्चिम बंगाल राज्य में संचालन का संयुक्त कार्यक्षेत्र होगा।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/6/2024/(12)-आरआरबी]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2025

S.O. 1635(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Government of West Bengal and the Punjab National Bank, UCO Bank and Central Bank of India, being the Sponsor Banks of Bangiya Gramin Vikash Bank, Paschim Banga Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks shall be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank, which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation) with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Bangiya Gramin Vikash, Paschim Banga Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural Banks) sponsored by the Punjab National Bank, UCO Bank and Central Bank of India in the State of West Bengal are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as West Bengal Gramin Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Kolkata under the sponsorship of Punjab National Bank.

2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under: -

1.	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees one thousand two hundred seventy nine crore sixty four lakh six thousand eighty eight
(b)	State Government	Rupees three hundred eighty three crore eighty eight lakh eighty eight thousand nine hundred fifty five
(c)	Sponsor Bank	Rupees eight hundred ninety five crore seventy four lakh forty thousand six hundred ninety
2.	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks that is Bangiya Gramin Vikash, Paschim Banga Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank operating in the State of West Bengal shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation of this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

- (a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;
- (b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;
- (c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against the transferee Regional Rural Bank;
- (d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account;

(b) in respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks [excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)] shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, or as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation;

(b) the inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued vide letter number NB.IDD.RRCBD/2065/462/(ISS)2013-14, dated the 25th November, 2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks that is Bangiya Gramin Vikash, Paschim Banga Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank in the State of West Bengal.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024/(12)-RRB]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.